

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082024-256724 CG-DL-E-29082024-256724

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/ भाद्र 6, 1946

No. 483]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/ BHADRA 6, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

सा.का.िन. 522(अ.).—िनम्निलिखित मसौदा नियम जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (न) और (प) के साथ पिठत धारा 20 की उप-धारा 2 के खंड (क) और उप-धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसुचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जायेगी;

यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केंद्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव पर विचार किया जाएगा।

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और व्यावृत्ति
 - (1) इन नियमों को दूरसंचार (संदेशों के विधि सम्मत अवरोध हेतु प्रक्रियाएं एवं रक्षोपाय) नियम, 2024 कहा जा सकता है।

5479 GI/2024 (1)

- (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13)के अंतर्गत भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 419 और 419क का अधिक्रमण करेंगे परंतु ये नियम उन नियमों के अंतर्गत संदेशों के अवरोध से संबंधित मौजूदा आदेशों की निबंधन और शर्तों को अधिभावी नहीं करेंगे जो ऐसे आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवरोध की समयाविध समाप्त होने की तिथि तक लागू रहेंगे।

2. परिभाषाएं —

- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्राधिकृत एजेंसी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कानून प्रवर्तन या सुरक्षा एजेंसी अभिप्रेत है;
 - (ग) "**सक्षम प्राधिकारी"** से केंद्रीय सरकार के मामले में गृह मंत्रालय में केन्द्रीय गृह सिचव अथवा राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के प्रभारी राज्य सरकार के सिचव अभिप्रेत है;
 - (घ) "अवरोध आदेश" से अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसरण में किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अवरोध के लिए इन नियमों के नियम 3 के अधीन जारी आदेश अभिप्रेत है;;
 - (ङ)"समीक्षा समिति" से इन नियमों के नियम 4 के अंतर्गत गठित की गई समिति अभिप्रेत है; और
 - (च) **"नियम"** से दूरसंचार (संदेशों के विधि सम्मत अवरोध हेतु प्रक्रियाएं एवं रक्षोपाय) नियम, 2024 अभिप्रेत है
 - (छ) "दूरसंचार कंपनी" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहा है या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार कर रहा है, जिसमें अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकार रखने वाली प्राधिकृत कंपनी या अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा प्राधिकार की आवश्यकता से छूट प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों जिनका उपयोग इन नियमों में किया गया है और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा संदेश या संदेशों के वर्ग का अवरोध

- (1) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कारणों से अवरोध आदेश के अनुसरण में किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अवरोध के लिए या प्राप्त करने के लिए एक या अधिक प्राधिकृत एजेन्सियों को विनिर्दिष्ट कर सकती है।
- (2) सक्षम प्राधिकारी अवरोध आदेश के माध्यम से किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अवरोध के लिए निदेश दे सकता है:
 - बशर्ते कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा आदेश किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जो केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम श्रेणी का न हो जिसे इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
- (3) उप-नियम (2) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, दूरदराज के क्षेत्रों में आपातकालीन मामलों में या प्रचालन कारणों से, जहां सक्षम प्राधिकारी या उप-नियम (2) के परंतुक के अंतर्गत निर्दिष्ट ऐसे अन्य अधिकारी के लिए अवरोधन आदेश जारी करना संभव नहीं है, वहां ऐसा आदेश किसी प्राधिकृत एजेंसी के प्रमुख या पुलिस महानिरीक्षक के पद से कम श्रेणी के न होने वाले दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है और निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:
 - (क) ऐसे अवरोध आदेश की एक प्रति इसके जारी होने की तारीख से तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी,यदि वह उचित समझे,तो ऐसे आदेश की पुष्टि जारी होने की तारीख से सात (7) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर करेगा;

- (ख) यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे अवरोध आदेश को जारी होने की तारीख से सात (7) कार्य दिवसों के भीतर पृष्टि नहीं करता है:
 - (i) ऐसा अवरोध तुरंत बंद कर दिया जाएगा;
 - (ii) अवरोधित किए गए किसी भी संदेश का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जिसमें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग भी शामिल है; और
 - (iii) ऐसे आदेश के अनुसरण में अवरोध किये गए संदेशों की प्रतियां दो (2) कार्य दिवसों के भीतर नष्ट कर दी जाएंगी और इसकी पृष्टि सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) उप-नियम (3) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवरोध आदेशों की पुष्टि न किए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवरोध आदेश के बिना उसी संदेश या संदेशों के वर्ग को प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अवरोधित नहीं किया जाएगा।
- (5) उप-नियम (2) के अंतर्गत जारी किया गया कोई अवरोध आदेश, या उप-नियम (3) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृष्टि किया गया कोई अवरोध आदेश जारी होने या पृष्टि की तिथि से सात (7) कार्य दिवसों की अविध के भीतर, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय या राज्य स्तर पर संबंधित समीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) उप-नियम (2) और (3) के अंतर्गत कोई अवरोध आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि ऐसा आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी ने यह विचार न कर लिया हो और यह निर्धारित न कर लिया हो कि किसी अन्य उचित माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होगा।
- (7) अवरोध आदेश के अनुसरण में अवरोध किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को भेजे गए या उनसे प्राप्त किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अवरोध से संबंधित होगा या किसी विशेष विषय से संबंधित होगा, चाहे ऐसा संदेश या संदेशों का वर्ग आदेश में विनिर्दिष्ट एक या अधिक पतों पर प्राप्त हुआ हो या जिसका उपयोग आदेश में विनिर्दिष्ट किसी विशेष व्यक्ति से या उस तक संदेश या संदेशों के वर्ग के संचरण के लिए या आदेश में विनिर्दिष्ट किसी परिसर या दूरसंचार उपकरण के किसी समूह के लिए होने की संभावना है।
- (8) अवरोधन आदेश में:
 - (क) प्राधिकृत एजेंसी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो अवरोध का कार्य करेगी;
 - (ख) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसरण में ऐसे अवरोध के कारणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और किसी अवरोधित संदेश के उपयोग को धारा 20 की उपधारा (2) के प्रावधानों तक सीमित किया जाएगा; और
 - (ग) ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से साठ (60) कैलेंडर दिनों से अधिक अवधि के लिए जब तक कि उसे पहले वापस न ले लिया जाए, लागू रहेगा और आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा, बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश एक सौ अस्सी (180) कैलेंडर दिनों की अवधि से अधिक लागू नहीं रहेगा।
- (9) उप-नियम (8) के उप-खंड (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवरोध करने वाली प्राधिकृत एजेंसी सुरक्षित रिकॉर्ड रखेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:
 - (क) अवरोध किए गए संदेश या संदेशों का वर्ग;
 - (ख) उन व्यक्तियों का विवरण जिनके संदेश या संदेशों का वर्ग इंटरसेप्ट किया गया है;
 - (ग) उस अधिकारी या प्राधिकृत एजेंसी का नाम और अन्य विवरण जिसे अवरोध किए गए संदेश या संदेशों का वर्ग बताया गया है;
 - (घ) अवरोध किए गए संदेश या संदेशों के वर्ग की बनाई गई वास्तविक या डिजिटल प्रतियों की संख्या;
 - (ङ) वह माध्यम या विधि जिसके द्वारा ऐसी प्रतियां बनाई गई हैं;
 - (च) प्रतियों के नष्ट किए जाने की तिथि; और
 - (छ) वह अवधि जिसके लिए अवरोध किए गए आदेश में दिए गए निदेश प्रभावी रहेंगे।

- (10) अवरोध आदेश और अवरोधित संदेशों से संबंधित रिकॉर्ड को सक्षम प्राधिकारी और प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रत्येक छह महीने में नष्ट कर दिया जाएगा जब तक कि कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए इनकी आवश्यकता न हो या होने की संभावना न हो।
- (11) अवरोध आदेश से संबंधित रिकॉर्ड को दूरसंचार विभाग और दूरसंचार कंपनी द्वारा ऐसे अवरोध आदेश के अनुसरण में अवरोध बंद करने के दो महीने के भीतर नष्ट कर दिया जाएगा।
- (12) इन नियमों में कुछ भी विधि सम्मत अवरोध प्रणालियों और निगरानी सुविधाओं के प्रदर्शन और परीक्षण पर लागू नहीं होगा, जिन्हें केंद्र सरकार दूरसंचार संस्थाओं को स्थापित करने के लिए कह सकती है।

4. अवरोधन आदेश को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया

- (1) प्रत्येक प्राधिकृत एजेंसी नियम (3) के उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के अंतर्गत जारी अवरोध आदेश को दूरसंचार विभाग के नोडल अधिकारी या दूरसंचार कंपनी के नोडल अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को संप्रेषित करने के लिए दो नोडल अधिकारियों को प्राधिकृत करेगी, जो पुलिस अधीक्षक या समकक्ष रैंक से कम की श्रेणी के न हों।
- (2) दूरसंचार विभाग अवरोध आदेश प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र में दो नोडल अधिकारियों को प्राधिकृत करेगा।
- (3) प्रत्येक दूरसंचार कंपनी इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अपने संचालन के प्रत्येक सेवा क्षेत्र में दो वरिष्ठ कर्मचारियों को अवरोध आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत नोडल अधिकारियों के रूप में केन्द्रीय सरकार को अधिसूचित करेगी।
- (4) प्राधिकृत एजेंसी, दूरसंचार विभाग और दूरसंचार कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि:
 - (क) अवरोध आदेश से संबंधित कोई भी मामला केवल इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नोडल अधिकारियों द्वारा ही संभाला जाए;
 - (ख) संदेशों के किसी भी अनधिकृत अवरोधन को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक रक्षोपाय लागू किए जाए; और
 - (ग) संदेशों के अवरोध के मामले में गोपनीयता और निजता बनाए रखी जाए।
- (5) अवरोध आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत एजेंसी का नोडल अधिकारी अवरोध आदेश को दूरसंचार विभाग के नोडल अधिकारी या संबंधित दूरसंचार कंपनी के नोडल अधिकारी को लिखित रूप में या इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संचार के किसी अन्य तरीके का उपयोग करके, जैसा भी मामला हो, सूचित करेगा।
- (6) दूरसंचार विभाग या दूरसंचार कंपनी का नोडल अधिकारी, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित कार्य करेगा:
 - (क) उप-नियम (6) के तहत संचार प्राप्त करने के दो घंटे के भीतर ऐसे संचार की प्राप्ति की पावती देगा; और
 - (ख) उस प्राधिकृत एजेंसी को जिससे उसे ऐसा संचार प्राप्त हुआ है, पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें पिछले पखवाड़े के दौरान प्राप्त अवरोध आदेशों की सूची शामिल होगी जैसा कि इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (7) दूरसंचार कंपनी अपने कर्मचारियों, जिसमें उसके विक्रेता भी शामिल हैं, की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगी, जिसके परिणामस्वरूप कोई अनिधकृत अवरोधन या इन नियमों का कोई उल्लंघन होता है।

5. समीक्षा समिति का गठन और कार्य-प्रणाली

(1) केंद्र की समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(क) मंत्रिमंडल सचिव-

अध्यक्ष:

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रभारी सचिव, विधिक कार्य-

सदस्य; तथा

(ग) सचिव, केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार विभाग-

सदस्य।

(2) राज्य स्तर पर समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे::

(क) राज्य के मुख्य सचिव- अध्यक्ष;

(ख) सचिव विधि अथवा प्रभारी लीगल रेमेंमबरेंस, विधिक कार्य - सदस्य; तथा

(ग) गृह सचिव के अलावा राज्य सरकार के सचिव - सदस्य।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के तहत गठित समीक्षा समिति प्रत्येक दो (2) माह में बैठक करेगी और इस संबंध में अपने निष्कर्ष दर्ज करेगी कि क्या नियम 3 के तहत अवरोध आदेश अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 20 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार हैं। जहां समीक्षा समिति की राय होगी कि अवरोध आदेश अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 20 की उप-धारा (2) के अनुसार नहीं है, वह ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है और अवरोध किये गए संदेश या संदेशों के वर्ग की प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दे सकती है।

[फा. सं 24-05/2024-यूबीबी] देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2024

G.S.R. 522(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 read with clauses (t) and (u) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi - 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title, commencement and savings

- (1) These rules may be called the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall be in supersession of rule 419 and 419A of The Indian Telegraph Rules, 1951 under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), but shall not override the terms and conditions of existing orders relating to interception of messages under those rules, which shall continue to apply till the date of expiry of the time period for interception as specified in such order.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Act" means The Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
 - (b) "authorised agency" means the law enforcement or security agency authorised by the Central Government for the purposes of these rules;

- (c) "**competent authority**" means the Union Home Secretary in the Ministry of Home Affairs in the case of the Central Government, or the Secretary to the State Government in-charge of the Home Department in the case of a State Government;
- (d) "interception order" means an order for interception of a message or class of messages pursuant to subsection (2) of section 20 of the Act, issued under rule 3 of these rules;
- (e) "review committee" means the committee constituted under rule 5 of these rules;
- (f) "rules" means the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024;
- (g) "telecommunication entity" means any person providing telecommunication services, or establishing, operating, maintaining, or expanding telecommunication network, including an authorised entity holding an authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, or a person exempted from the requirement of authorisation under sub-section (3) of section 3 of the Act.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Interception of message or class of messages by authorised agencies

- (1) The Central Government may, by an order, specify one or more authorised agencies to intercept or receive any message or class of messages pursuant to an interception order, for the reasons specified under sub-section (2) of section 20 of the Act.
- (2) The competent authority may, through an interception order, direct interception of any message or class of messages:
 - *Provided that*, in unavoidable circumstances, such order may be made by an officer, not below the rank of a Joint Secretary to the Central Government, who has been duly authorised for this purpose by the competent authority.
- (3) Notwithstanding anything stated in sub-rule (2), in emergent cases in remote areas, or for operational reasons, where it is not feasible for the competent authority or such other officer specified under the proviso to sub-rule (2), to issue an interception order, such order may be issued by the Head or the second senior most officer not below the rank of Inspector General of Police of an authorised agency, and the following provisions shall apply:
 - (a) a copy of such interception order shall be submitted within three (3) working days of the date of its issuance to the competent authority, and the competent authority shall, if it considers appropriate, confirm such order within a period of seven (7) working days from the date of issue;
 - (b) if the competent authority does not confirm such interception order within seven (7) working days from the date of issue:
 - (i) such interception shall forthwith cease;
 - (ii) any messages intercepted shall not be used for any purpose, including as evidence in a court of law; and
 - (iii) copies of messages intercepted pursuant to such order shall be destroyed within two (2) working days, and confirmation of the same shall be submitted in writing to the competent authority.
- (4) In case of non-confirmation of interception orders by the competent authority under sub-rule (3), the same message or class of messages shall not be intercepted by the authorised agency, without an interception order by the competent authority.
- (5) Any interception order issued under sub-rule (2), or confirmed by the competent authority under sub-rule (3), shall be submitted to the relevant review committee at the Central or State level within a period of seven (7) working days from the date of issuance or confirmation, as the case may be.
- (6) No interception order under sub-rule (2) and (3) shall be made, unless the authority issuing such order has considered and determined that it would not be possible to acquire the necessary information by any other reasonable means.

- (7) The interception pursuant to an interception order, shall be related to the interception of any message or class of messages as are sent to or from any person or class of persons or relating to any particular subject, whether such message or class of messages are received at one or more addresses as may be specified in the order, or which are likely to be used for the transmission of message or class of messages from or to one particular person specified in the order, or any set of premises or telecommunication equipment specified in the order.
- (8) An interception order shall:
 - (a) specify the authorised agency that will undertake the interception;
 - (b) specify the reasons for such interception pursuant to sub-section (2) of section 20 of the Act, and limit the use of any intercepted message to the provisions of sub-section (2) of section 20; and
 - (c) remain in force, unless revoked earlier, for a period not exceeding sixty (60) calendar days from the date of issuance of such order, and may be renewed for further period, provided that no such order shall remain in force beyond the duration of one hundred and eighty (180) calendar days.
- (9) The authorised agency undertaking the interception as specified under sub-clause (a) of sub-rule (8), shall maintain secure records, including but not limited to:
 - (a) the intercepted message or class of messages;
 - (b) the particulars of persons whose message or class of messages has been intercepted;
 - (c) the name and particulars of the officer or the authorised agency to whom the intercepted message or class of messages has been disclosed;
 - (d) the number of physical or digital copies of the intercepted message or class of messages made;
 - (e) the mode or the method by which such copies are made;
 - (f) the date of destruction of the copies; and
 - (g) the duration for which the directions of interception in an interception order are to remain in force.
- (10) Records pertaining to an interception order and of intercepted messages shall be destroyed by the competent authority and the authorised agency, every six months unless these are, or likely to be, required for functional requirements.
- (11) Records pertaining to an interception order shall be destroyed by the Department of Telecommunications and the telecommunication entity within two months of discontinuance of interception pursuant to such interception order.
- (12) Nothing in these rules shall apply to the demonstration and testing of lawful interception systems and monitoring facilities that the Central Government may require telecommunication entities to put in place.

4. Procedure for implementing an Interception Order

- (1) Each authorised agency shall authorise two nodal officers, not below the rank of Superintendent of Police or equivalent rank, to communicate an interception order issued under sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule (3) to the nodal officer of the Department of Telecommunications or nodal officer of the telecommunication entity, as the case may be.
- (2) The Department of Telecommunications shall authorise two nodal officers in every service area to receive and act upon the interception orders.
- (3) Each telecommunication entity shall notify to the Central Government in the form specified for this purpose, two senior employees in every service area of its operation, as nodal officers authorised to implement the interception orders.
- (4) The authorised agency, the Department of Telecommunications, and telecommunication entity shall ensure that:
 - (a) any matter relating to an interception order is handled only by nodal officers authorised for this purpose;
 - (b) adequate and effective internal safeguards are implemented to prevent any unauthorised interception of messages; and

- (c) confidentiality and secrecy is maintained in the matter of interception of messages.
- (5) The nodal officer of the authorised agency specified in the interception order shall convey the interception order to the nodal officer of the Department of Telecommunication or to the nodal officer of the relevant telecommunication entity, as the case may be, in writing or using any other mode of communication as specified by the Central Government for this purpose.
- (6) The nodal officer of the Department of Telecommunications or the telecommunication entity, as the case may be, shall:
 - (a) within two hours of receiving the communication under sub-rule (6), acknowledge receiving such communication; and
 - (b) submit fortnightly reports to the authorised agency from which it received such communication, comprising of the list of interception orders received during the preceding fortnight in the format as may be specified by the Central Government for this purpose.
- (7) The telecommunication entity shall be responsible for any action of its employees, including its vendors, that results in any unauthorised interception, or any violation of these rules.

5. Constitution and working of the review committee

(1) The review committee at the Centre shall consist of the following members:

(a) Cabinet Secretary- Chairman;

(b) Secretary to the Central Government In-charge, Legal Affairs- Member; and

(c) Secretary to the Central Government, Department of Telecommunications-

Member.

(2) The review committee at the State shall consist of the following members:

(a) Chief Secretary of the State-

Chairman;

(b) Secretary Law or Legal Remembrancer In-charge, Legal Affairs-

Member; and

(c) Secretary to the State Government, other than the Home Secretary-

Member.

(3) The review committee constituted under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall meet every two (2) months and record its findings as regards whether the interception orders under rule 3 are in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 20 read with sub-section (4) of section 20 of the Act. Where the review committee is of the opinion that the interception order is not in accordance with sub-section (2) of section 20 read with sub-section (4) of section 20 of the Act, it may set aside such order and order for destruction of the copies of the intercepted message or class of messages.

[F.No.24-05/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.